

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगता रक्षणात् कुलसायिद् निर्माण
विश्वविद्यालय के लगते ही लिखा गया न
है। लिखने वाले विधायिकी से नहीं हैं।
लगता विधायिकी पर यह नहीं है। पर
अधिकार कुछ भी नहीं यह अपने
अधिकार लिखा जाए तो उसे लिखा दूषित हो।



मात्र : शहीदपुरी
दर्तक : (0751) 2341996
दर्तक : (0751) 2442824
दर्तक : (0751) 7341750

प्रधान :
कुलसायिद्
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रांतिकारी सम्बन्धिता/2012/5924

दिनांक : ०५/०८/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर दे सम्बद्ध व्याविषयक निर्माण कर्त्तवेज, मासी परिषद, उत्तराहृषि ग्रेट, ग्वालियर (0751-2443943) को सत्र 2012-13 के लिंगे प्रसारित-रांचीलिंग पोट वैक्सिक बी-एस-सी. (वैक्सिक), प्रावधानकम कमा. पालांडालों विधायिकों की अव्यापी रामबद्धा नेतृ अनुशासन एवं प्रावधान करने के लिये जालबीच कुलपति महोदय/लगाची लिखिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुरूप विभागानुसार लिखीकाण लिखिति का गलत लिखा है :

(1) प्रो. विठेक बापट, आचार्य, लगाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्यवशालका, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442822)

(2) डॉ. रेणुका लाल, प्राचार्य, पी.जी. वॉलेज 30५५ निर्माण, नैन्दा पराया, परिषद, ग्वालियर।

(3) डॉ. शंख गोस्यावरी, अधिकारी, अधिकारी, भवानविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

लिखीकाण लिखिति को रामबद्धा की अनुरूप है कि के परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप भवानविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीकाण के बुलक, प्राथेष्वर रामबद्धा से प्राप्त अनुमति अनापति प्रभाण-पत्र, भवन, छोड़ा परिषद एवं रामबद्धा/ग्राउन्डेन तथा उन टोकों, प्राथेष्वर रामबद्धा से प्राप्त अनुमति अनापति प्रभाण-पत्र, भवन, छोड़ा परिषद एवं रामबद्धा/ग्राउन्डेन तथा उन टोकों तक जी.वि.वि. द्वारा दी गई रामबद्धा की दूसरी ग्राथ प्रभाण पत्र की तथा प्रावधानीकाणिक एवं जीवीकाणिक रामबद्धा की विशुद्धितयों का प्रभाना एवं घोषित करने से स्वतंत्र विरपण/अनुशासन अधिकारी।

लगाची लिखिति को वैक्स दिवांग 26 रितवर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिखे गये विभागानुसार लिखीकाण लिखिति द्वारा 30 दिन में भवानविद्यालय का लिखीकाण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कावालियर ने लिखीकाण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। लिखिति के सम्पूर्ण कार्यालयी (भवानविद्यालय लिखीकाण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। लिखिति के सम्पूर्ण कार्यालयी (भवानविद्यालय लिखीकाण की) 45 दिवस में लिखीकाण विरोद्ध प्रस्तुत करना भवानविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अव्यापी रामबद्धा में विवरज बर्ती ठोंगा एवं यथा रामबद्धा रामबद्धा लगाची कार्यालयी पूर्ण हो जानेवाले तथा भावन के विरोद्धों वाले पालक लुभितयत लिखा जा सकेगा।

जब उन 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की दिल्लि में यह भावना जाएगा कि भवानविद्यालय का लिखीकाण नहीं हुआ है। लिखानुसार अवर्द्धन भवन करकर भवीन समिति ग्राति की जावेगी। तिसे 15 दिवस में लिखीकाण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार रामबद्धा प्राप्त किए विवा छाजों को प्रेष देना अवैधानिक है।

लिखीकाण लिखिति को साथ सम्बद्धता शाझा में जारीत अधीकारी / कार्यालय रामबद्ध के प्रभावली लेकर जावेगे तथा भवानविद्यालय की वर्तुविधायिकों से लिखीकाण लिखिति को अनुगत करावेंगे। लिखीकाण लिखिति के दावों को दीए. / शी.ए. / मानदेव भवानविद्यालय द्वारा देय होगा।

3 अग्र ०३
कुलसायिद्

प्रतिलिपि :-

1. भवान उद्योगों की ओर सूचनार्थी एवं आवशक कार्यवाली हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित भवानविद्यालय की ओर भेजकर आगाह हैं। उनके लिखिति ने संयोजक से समर्पण स्वापित कर लिखीकाण दिवांग विधायित कर भवानविद्यालय ने लिखीकाण करावें। उक्त लिखीकाण 15 दिवस तक अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आपूर्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
4. कुलपति को सचिव / कुलसायिद् को लिखी रामबद्ध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसायिद् (रामबद्ध)